न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घाटोल जिला–बाँसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – श्री अमृतलाल डामोर RAS

प्रकरण संख्या 13/2 (112)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53, RT-ACT

वादी :–
01. रकमा पिता हिरजी भील
02. चंदणा पिता हिरजी भील
03. धारजी पिता हिरजी भील
04. वेस्ता पिता हिरजी भील
05. रकमा पिता हुरता भील
06. हिरा पिता हुरता भील
07. हुरजी पिता हुरता भील
08. स्व. दीपा पिता हुरता भील के वारिस केसिया पिता स्व. दीपा भील
09. स्व. मोतिया पिता मगजी भील के वारिसान–
9./1 श्रीमती सुरजी पत्नी सव. मोतीया भील
9/2 नाकु पिता स्व. मोतीया भील
9/3 प्रभुलाल पिता स्व. मोतीया भील
9/4 वरसेंग पिता मोतीया भील
10. गेबा पिता ऊंकार भील
11. हुरदु पिता ऊंकार भील
12. रामा पिता ऊंकार भील
13. देवा पिता पूंजा भील

निवासियान भमरवोट तहसील घाटोल

बनाम

प्रतिवादीगण :–
01. खातु पिता वागजी भील नि0 भमरवोट त. घाटोल
1/1 नाथु पिता खातुजी भील
1/2 कमजी पिता स्व. खातुजी भील
1/3 फूलजी पिता स्व. खातुजी भील
1/4 स्व. नागजी पिता स्व. खातुजी भील
1/4/1 नागजी पिता स्व. नागजी भील
1/4/2 रमेश पिता स्व. नगजी भील

निवासियान भमरवोट तह. घाटोल

02. तहसीलदार घाटोल

उपस्थित वकील :– श्री राजेन्द्र पटेल वकील वादी
श्री यशपाल गुप्ता वकील प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 29/05/2015

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 53, आर.टी.एक्ट

वादीगण द्वारा प्रतिवादीण के विरूद्ध यह वाद पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम भमरवोट त0 घाटोल खाता संख्या 23 का खाता नम्बर 294 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा पर वादीगण 1 से 4 का 1/3 हिस्सा वादीगण 5 से 13 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा हो कर मौके पर काबिज हो कर काश्त कर रहे हैं एवं लगान अदा कर रहे है, जो पेतृक हो कर खसरा गिरदावरी में शामलाती में नाम दर्ज है। दिनांक 05.07.1999 को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 19.05.2001 को वादीगण के पक्ष निर्णित एवं डिग्री किया जिसमें वादी 5 से 13 का नाम जोडने के आदेश किये जिसके दिरूद्ध 26.03.2002 को आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रकिया सहिता के तहत एक पक्षीय कार्यवाही में अपास्त कर दौ पक्षीय कार्यवाही का प्रार्थना–पत्र पेश किया। जिसे दिनांक 07.09.2002 को उक्त प्रार्थना–पत्र खारीज किया गया। जिससे असंतुष्ट हो कर अपील न्यायालय भू.प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर को प्रस्तुत की गई। जिसमें दिनांक 17.10.2008 को उक्त अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घाटोल का निर्णय दिनांक 07.09.2002 निरस्त कर मामला प्रतिप्रेषित कर अधीनस्थ न्यायालय को मेरिट पद निर्णय पारित करने का आदेश दिया।

उक्त पत्रावली दिनांक 28.10.2009 को उपखण्ड न्यायालय घाटोल को प्राप्त हुई, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के फौत होने पर उसके वैद्यानिक प्रतिनिधियों ने लिखित जवाब पेश किया। तथा उक्त वादीगण के वाद को अस्वीकार किया। वादी एवं प्रतिवादी ने साक्ष्य पेश की तथा प्रतिवादी ने जवाब में काहा की वादीगण उनके वंशावली के भाई नहीं है, तो उक्त भूमि में उनका कोई हक उत्पन्न नहीं होता है।

दिनांक 29.05.2015 को उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत कम्प सेनावासा में रखी गई जहां वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच लोक हित में राजीनामा हो गया। जिसमें वादीगण 1 से 4 उक्त खाते में नाम नहीं जुडवाना चाहते तथा वादीगण 5 से 13 जिनका निर्णय दिनांक 19.05.2001 के तहत खसरा नम्बर 394 के हाल सर्वे नम्बर 1808 रकबा 0.14है0 लगान 0.42 पैसा खसरा नम्बर 1809 रकबा 0.24है0 लगान 0.72 पैसा कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.38है0 कुल लगान 0.96 रूपया में नाम दर्ज हो गया। वह उक्त कृषि

भूमि से नाम हटवाकर पुनः प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करने हेतु सहमति प्रदान कर दी जिनका राजीनामा तस्दीक किया जिस अनुसार उक्त पत्रावली को फैसल की गई। उक्त कृषि भूमि में वादीगण का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। क्योकि उक्त कृषि भूमि वादीगण की पेतृक नहीं है। तथा वादीगण, प्रतिवादीगण की पत्रावली ने शामिल नहीं है। इस लिए खसरा नम्बर 1808 रकबा 0.14है0 खसरा नम्बर 1809 रकबा 0.24है0 में पुनः प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

वाके ग्राम भवरवोट प0ह0 अमरथून त0 घाटोल के पुराना खाता नम्बर 394 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 1808 रकबा 0.14है0 लगान 0.42 पैसा खसरा नम्बर 18.09 रकबा 0.24है0 लगान 0.72 पैसा कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.38है0 कुल लगान 0.96 पैसा वादीगण 5 से 13 से हटाकर प्रतिवादीगण नाथु, कमजी, फुलजी पिता खातु, नारायण, रमेश पिता नानजी भील के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तथा खसरा नम्बर 394 पुराना के हाल खसरा नम्बर 1807 रकबा 0.34है0 खसरा नम्बर 1812 रकबा 0.45है0, खसरा नम्बर 1814 रकबा 0.09है0, खसरा नम्बर 1821 रकबा 0.04है0 खसरा नम्बर 1822 रकबा 0.22है0 प्रतिवादीगण के नाम यथावत रखे जाने के आदेश किये जाते है।

(अमृतलाल [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
घाटोल

उपखण्ड अधिकारी घाटोल
जिला बांसवाड़ा (राज.)

निर्णय आज दिनांक 02.06.2015 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घाटोल जिला बांसवाड़ा

(अमृतलाल [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
घाटोल

उपखण्ड अधिकारी घाटोल
जिला बांसवाड़ा (राज.)

डिगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई
(आ. 20 रूल 67 जाप्ता दिवानी)

आज अदालत – उपखण्ड अधिकारी **मुकाम** – घाटोल

ब इजलास..............................श्री अमृतलाल डामोर **RAS**..................................

113

01. रकमा पिता हिरजी भील
02. चंदणा पिता हिरजी भील
03. धारजी पिता हिरजी भील
04. वेस्ता पिता हिरजी भील
05. रकमा पिता हुरता भील
06. हिरा पिता हुरता भील
07. हुरजी पिता हुरता भील
08. स्व. दीपा पिता हुरता भील
के वारिस केसिया पिता स्व. दीपा भील
09. स्व. मोतिया पिता मगजी भील के वारिसान–
9./1 श्रीमती सुरजी पत्नी सव. मोतीया भील
9/2 नाकु पिता स्व. मोतीया भील
9/3 प्रभुलाल पिता स्व. मोतीया भील
9/4 वरसेंग पिता मोतीया भील
10. गेबा पिता ऊंकार भील
11. हुरदु पिता ऊंकार भील
12. रामा पिता ऊंकार भील
13. देवा पिता पूंजा भील
निवासियान भमरवोट तहसील घाटोल

बनाम

01. खातु पिता वागजी भील
1/1 नाथु पिता खातुजी भील
1/2 कमजी पिता स्व. खातुजी भील
1/3 फूलजी पिता स्व. खातुजी भील
1/4 स्व. नागजी पिता स्व. खातुजी भील
1/4/1 नागजी पिता स्व. नागजी भील
1/4/2 रमेश पिता स्व. नगजी भील
निवासियान भमरवोट तह. घाटोल
02. तहसीलदार घाटोल

दावा बाबत – 88, 188, 53 RT-ACT

मुकदमा नंबर – 13 सन् – 2002

यह मुकदमा आज वास्ते ईमफिसाल कतई रुबरू...ब हाजरी ....मिनजानिब मुदई व.. ....मिनजानिब मुदयलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है की **वाके ग्राम भवरवोट प0ह0 अमरथून त0 घाटोल के पुराना खाता नम्बर 394 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 1808 रकबा 0.14है0 लगान 0.42 पैसा खसरा नम्बर 18.09 रकबा 0.24है0 लगान 0.72 पैसा कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.38है0 कुल लगान 0.96 पैसा वादीगण 5 से 13 से हटाकर प्रतिवादीगण नाथु, कमजी, फुलजी पिता खातु, नारायण, रमेश पिता नानजी भील के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तथा खसरा नम्बर 394 पुराना के हाल खसरा नम्बर 1807 रकबा 0.34है0 खसरा नम्बर 1812 रकबा 0.45है0, खसरा नम्बर 1814 रकबा 0.09है0, खसरा नम्बर 1821 रकबा 0.04है0 खसरा नम्बर 1822 रकबा 0.22है0 प्रतिवादीगण के नाम यथावत रखे जाने के आदेश किये जाते है।**

नीज..मुबनीग...बाबत...खर्चा

इस मुकदमे के मय सुद व शहर...................................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसुलयाबी तक........... ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आद तारीख 29 माह 05 – 2015 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी घाटोल
जिला बांसवाड़ा (राज.)

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घाटोल जिला बांसवाड़ा)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायल	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताजा वकील			खर्चा गवाह		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्म नामा		
बबत इजराय हुक्म नामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दोफरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।